विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 5/3/19 को
की जावेगी।

श्रीमान P.O. सा० के स्थानान्तरण होने के

5/3/19 कारण आज दिनांक 5/3/19 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 2/4/19 को
की जावेगी।

2/4/19 श्रीमान P.O. सा० के अवकाश पर होने के कारण पत्रावली दिनांक 11/6/19 को पेश हो प्रतिवादी नं० 2 की ओर से श्री रिशिपाल सिंह जाडौन Adv. ने वकालत नामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया मौका रिपोर्ट न्यायालय के प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 11/6/19 को पेश हो

11.6.19. वकील फरीकेन उपस्थित। शेष जैर बहस की तकमील हो चुकी है। पत्रावली वास्ते फैसला दिनांक 15/7/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

15/7/19 श्रीमान P.O. सा० के NOT गोपाल जाने के
कारण आज दिनांक 15/7/19 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 19/7/19 को
की जावेगी। दावा के श्री श्याम सुन्दर शर्मा एड० ने अपना वकालत नामा पेश किया जा चुका है।

हिदायत पैरवी नहीं है।
15/7/19

19/7/19 वकील फरीकेन उपस्थित। वादी एवं वकील वादी ने अपने प्रार्थना पत्र को Not Press किया आगे चलाना नहीं चाहते हैं अतः प्रार्थना पत्र 212 RTAct वादी Not Press मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर हम फीता दफा रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

NOT PRESS
रघुराज
19-7-2019

19/7/2019

19/7/2019

उपखण्ड अधिकारी